दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

शिक्षित बेरोजगार अब आनलाईन माध्यम से करा सकते हैं पंजीयन एवं नवीनीकरण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर ने नवीन ई-रोजगार पोर्टल प्रचलन में लाया है। वे आवेदक जो पूर्व में रोजगार कार्यालय के पुराने पोर्टल में पंजीकृत हैं उन्हें नया पंजीयन, नवीनीकरण, अतिरिक्त योग्यता दर्ज राज्य के शिक्षित बेरोजगार यदि करना चाहते हैं तो अब ईरोजगार डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाईट पर जाकर अपना नवीनीकरण पंजीयन करा सकते हैं। नए आवेदक ईरोजगार डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल का सीधे ही प्रयोग कर सकते हैं।

ड्रिंक एंड ड्राइव : प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की हुई ट्रक का ड्राइवर मिला शराब सेवन किया हुआ

ट्रैफिक पुलिस ने की ट्रक ड्राइवर पर कार्यवाई, कोर्ट से ड्रायवर को लगा 12,000 रुपए का अर्थदंड

रायगढ़। शहर में भारी वाहन के लिए प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 11 मई के दोपहर करीब 1:30 बजे एक ट्रक सीजी 04 NZ- 7847 घुस गई थी। पेट्रोलिंग दौरान डीएसपी ट्रैफिक रमेश कुमार चंद्रा मौके पर पहुंचे। डीएसपी चन्द्रा ने ट्रक और ड्राइवर को चेक किया। ट्रक ड्राइवर नशे में होना प्रतीत होने पर ड्राइवर का ब्रीथ एनालाइजर से श्वास की मौके पर जांच कराई गई जिसमें ड्राइवर अल्कोहल लेना पाया गया। डीएसपी ट्रैफिक द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर धारा 115/194, 185 एमवी एक्ट के तहत वाहन चालक के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया। आज माननीय न्यायाधीश द्वारा ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार यादव पिता नर्मदा प्रसाद यादव उम्र 24 साल निवासी पाली हाल मुकाम मिनी बस्ती बिलासपुर को नशे में वाहन चलाने पर ₹10,000 एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर ₹2,000 कुल ₹12,000 के अर्थ दंड की सजा दी गई है तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जप्त किये गये ट्रक को वाहन स्वामी को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है।

महादेव एप मामला : कारोबारी संदीप बग्गा ने कीटनाशक पीकर दी जान

रायपुर (आरएनएस)। देश में इन दिनों सट्टा का जादू चढक़र बोलने लगा है। और सरकारें इन कारोबारों को सह देते भी दिख रही है। हालांकि पुलिस खानापूर्ती के लिए कार्यवाही भी कर रही है। अब महादेव एप मामले में एक कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है। कारोबारी संदीप बग्गा ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है।आपको बता दें कि कारोबारी संदीप बग्गा खुदकुशी करने से पहले सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा है। जिसमें कारोबारी ने महादेव सट्टा के पैनल ऑपरेटर नीतीश मित्तल से लेनदेन का जिक्र किया है। मामले को लेकर सिविल लाइन थाना में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध दर्ज कर लिया गया है।

एसपी ने आरक्षक को किया निलंबित

बिलासपुर (आरएनएस)। सिरगिट्टी थाना के आरक्षक को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर एसपी रजनेश सिंह ने निलंबित कर दिया है। आरक्षक के खिलाफ सरकंडा सीएसपी प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए यूपी के खूंखार मवेशी तस्करों से पुलिस आरक्षक का संबंध था और वह उन्हें संरक्षण देता था। जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए यूपी के मवेशी तस्करों से पुलिस आरक्षक बबलू बंजारे का लगातार संपर्क था। उसके ही इशारे पर तस्कर जिले से मवेशी की तस्करी करते थे।

सीएमएचओ ने पीएचसी सराईपाली का किया औचक निरीक्षण

❑ मरीजों से मिलकर जाना उनका हालचाल, अस्पताल में नियमित साफ-सफाई एवं एनीमिक महिलाओं के खान-पान पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने आज विकासखण्ड तमनार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराईपाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने एवं अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को लौटाया न जाए और उनके इलाज पर विशेष ध्यान एवं सावधानी बरती जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया।

सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी ने अधिकारियों-कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति की जानकारी लेते हुए उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया एवं ओपीडी, प्रसव कक्ष, दवा वितरण कक्ष, भंडार कक्ष सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को समय पर संस्था में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रों में दवाईयों की उपलब्धता, उपकरणों तथा दस्तावेजों का सही रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने उपस्थित सभी स्टॉफ को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय पर कार्यसंपादन करने एवं मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए।

सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी ने ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर मौसमी बीमारियों से निपटने एवं आवश्यक सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। इस हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक सभी दवाएं रखने तथा समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए कहा। साथ ही आमजनों में इस संबंध में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए।

एनीमिक महिलाओं के खान-पान पर दे विशेष ध्यान

सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी ने कहा कि मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 प्रसव होना चाहिए परंतु प्रसव में कमी होने के कारण संस्थागत प्रसव लक्ष्य प्राप्ति के अनुरुप बढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए तथा प्रसव पूर्व चार एएनसी जांच, प्रसव पश्चात सात पी एन सी जांच नियमित फॉलो अप लेकर आरसीएच रजिस्टर में एंट्री करना सुनिश्चित करने व एनीमिक महिलाओं के खान-पान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

धनिया की खेती से आमदनी : किसान देवनाथ नायक पारंपरिक खेती को छोड़कर कर रहा आधुनिक खेती

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिले के बरमकेला विकासखंड के ग्राम पंचायत देवगांव के देवनाथ नायक किसान अपने 9 एकड़ जमीन में पिछले 9 सालों से पारंपरिक खेती छोड़ आधुनिक तरीके से धनिया की खेती कर रहे हैं। इससे वह अब तक 7 से 8 लाख की कमाई कर चुके हैं।

पहले वे पारंपरिक फसलों की खेती करते थे। इससे उन्हें इतनी अधिक कमाई नहीं हो रही थी। ऐसे में उन्होंने 9 साल पहले पारंपरिक फसलों की खेती छोड़ वैज्ञानिक विधि से धनिया की फार्मिंग शुरू कर दी। खास बात यह है कि धनिया की खेती शुरू करते ही देवनाथ नायक की किस्मत बदल गई।

देवनाथ नायक किसान ने बताया कि धनिया की खेती 7से 8 वर्ष से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धनिया की खेती करने में बहुत रूचि है और जानकारी भी है। शुरुआत 9 एकड से किया था। उसमें 7 लाख कमाया अभी वर्तमान में दो एकड़ में धनिया की खेती किया जा रहा है, जिसमें रेट के हिसाब से आमदनी होता है, जिसे कभी 35 हजार तो 70 हजार ऐसी कमाई होता है। उन्होंने बताया कि दो विधि से खेती करते हैं। रेन पाइप एवं बैड विधि बैड विधी की खेती के तुलना में धनिया पत्ती के उत्पादन अधिक एवं वजन भी अधिक होता है। 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 हजार की लागत लगता है साथ इसकी बिक्री के लिए व्यापारी खुद खेत में पहुंचकर धनिया को लेने आते है।

नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने वाला युवक गया जेल

❑ पूंजीपथरा पुलिस ने आरोपी को छेड़खानी और पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार भेजा था रिमांड पर

रायगढ़। पूंजीपथरा पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने वाले को शीलभंग और पॉक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर कोर्ट पेश कर जेल भेजा गया है।

छेड़खानी की घटना को लेकर 11 मई को थाना पूंजीपथरा में धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र की महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी कि 11 मई के सुबह करीब 11:00 बजे अपनी दो बेटियों को गांव के किराना दुकान सामान खरीदने भेजी थी। कुछ देर बाद गांव की महिलाएं छोटी लडकी को लेकर घर आई और बताई कि रुपनाधाम प्लांट में काम करने वाला जितेंद्र बरेठ बाजार चौंक के पास गंदी नियत से बालिका के साथ छेड़खानी कर रहा था। बालिका की मां के रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में आरोपी पर अपराध क्रमांक 130/2024 धारा 354, 354(क) आईपीसी 8 पॉक्सो एक्ट का अपराध कायम कर पुलिस टीम तत्काल आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी जितेंद्र कुमार बरेठ पिता भगत राम बरेठ उम्र 25 साल निवासी महुआभांठा थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा हाल मुकाम रुकनाधाम सराईपाली थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ को कल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया, जहां आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल दाखिल किया गया है।

ग्राम बेहरामर अटल चौक पर गांजा बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा तस्कर गिरफ्तार : आरोपी से 7 किलो 337 ग्राम गांजा जब्त

रायगढ़

थाना प्रभारी छाल निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बेहरामर अटल चौक पर एक व्यक्ति प्लास्टिक बोरी में गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। थाना प्रभारी द्वारा सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अपने स्टाफ को गांजा रेड कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। तत्काल सहायक उप निरीक्षक कैलाश दुबे के हमराह छाल पुलिस की टीम ग्राम बेहरामर अटल चौक पर घेराबंदी कर मुखबीर हुलिए अनुसार संदेही व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम आरती लाल सारथी पिता स्वर्गीय रामलाल सारथी उम्र 45 साल निवासी बेहरामर थाना छाल जिला रायगढ़ का बताया जिसे कार्यवाही के कारणों की जानकारी देते हुए उसके कब्जे में रखे प्लास्टिक बोरी की विधिवत तलाशी ली गई जिसमें 07 पैकेट मादक पदार्थ गांजा मिला जिसका विधिवत इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मौके पर वजन कराया गया। आरोपित आरती सारथी के पास से 07 किलो 337 ग्राम गांजा कीमती करीब ₹25,000 का पाया गया। आरोपी आरती सारथी द्वारा गांजा अवैध बिक्री के लिए लेकर आना बताया। आरोपी के कृत्य पर थाना छाल में अप.क्र. 98/2024 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर आज दोपहर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम व एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर गांजा रेड कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक कैलाश दुबे, आरक्षक जितेंद्र दुबे, गोविंद बनर्जी, हरेंद्रपाल जगत शामिल थे।

अवैध ब्रिकी के लिए शराब ले जा रहा युवक गिरफ्तार, आरोपी से 10 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त

रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया की पेट्रोलिंग द्वारा मुखबीर सूचना पर आरोपित अमित मांझी पिता तेरसराम मांझी उम्र 26 वर्ष साकिन मदनपुर चौकी खरसिया जिला रायगढ़ को अवैध ब्रिकी के लिए पैदल 5-5 लीटर वाली दो जरकीन में केनाभांठा की ओर से महुआ शराब लेकर आते हुए केनाभाठा, मदनपुर के पास पकड़े। आरोपित अमित मांझी से कुल 10 लीटर महुआ शराब कीमती ₹1,000 की जप्ती की गई है। चौकी खरसिया (थाना खरसिया) में आरोपी अमित मांझी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक संजय नाग, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, डमरूधर पटेल शामिल थे।

कोतरारोड पुलिस ने डीजल और मोबाइल लूटपाट मामले के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

❑ आरोपियों ने डीजल ले जा रहे दो व्यक्तियों से की थी 970 लीटर डीजल और 2 मोबाइल की लूट

❑ आरोपियों से डीजल बिक्री का 41,200 रुपए , वीवो मोबाइल और लूटपाट में प्रयुक्त स्कूटी जब्त

रायगढ़

कोतरारोड़ पुलिस ने पिछले साल दिसंबर माह में वृंदावन चौंक के पास कैंपर वाहन पर ड्रम में भरकर डीजल ले जा रहे दो युवकों से डीजल और मोबाइल की लूटपाट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक लूटपाट किए डीजल खरीदी का आरोपी है।

लूटपाट की घटना को लेकर 23 दिसंबर 2023 को थाना कोतरारोड में रिपोर्टकर्ता चंद्रशेखर बी.आर. पिता शिवप्रसाद बी आर उम्र 25 वर्ष साकिन नधिरा थाना बम्हनी जिला सोनभद्र उ.प्र. हाल मुकाम डोगाढकेल थाना भूपदेवपुर द्वारा आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 दिसंबर की रात्रि करीब 10.00 बजे घडी चौक आदिवासी पेट्रोल पंप रायगढ़ से 04 प्लास्टिक के ड्रमों में 970 लीटर डीजल (कीमती ₹93,518) भरवाया था जिसे केम्पर वाहन में लेकर अपने हेल्फर तापस मुडा के साथ ढोंगाढकेल जा रहे थे कि वृन्दावंन चौक के पास 4 लडके दो स्कूटी में आये और इनहें NH 49 हाईवे पर कलकता ढाबा के आगे ले जाकर ड्रम सहित डीजल को उतारवा लिये और दोनों के मोबाइल को छिनकर भगा दिये। आवेदन पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 585/2023 धारा 392 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अपराध विवेचना माल मुल्जिम पतासाजी दौरान थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर पीड़ित के बताए हुलिया एवं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कर मामले के संदेही वैभव सिंह ठाकुर निवासी बैकुंठपुर को हिरासत में लिए जिसने 22 दिसंबर की रात्रि अपने साथी मोहित शर्मा, विनय उर्फ विवेक, विनायक सिंह के साथ मिलकर वृंदावन चौक के आगे लाल परी ढाबा के पास कैंपर वाहन पर डीजल ले कर जा रहे वाहन को अपने कंट्रोल में लेकर डीजल बिक्री के लिए हाईवे पर ले गए। वाहन पर रखे डीजल ड्रम को उतरवाए और वाहन के ड्राइवर और हेल्पर का मोबाइल लूटकर उन्हें लगा दिए और लूटपाट किए 970 लीटर डीजल को खीरसागर के घर ले जाकर ब्रिकी किए। डीजल बिक्री का रूपयों को आपस में बांट लेना बताया। पुलिस ने आरोपी वैभव सिंह ठाकुर के मेमोरेंडम पर ₹12,700 नगद और एक वीवो मोबाइल, आरोपी विनायक सिंह से घटना में प्रयुक्त स्कूटी MP 04 SL 5552 एवं नगद रुपए 14500, आरोपी विनय उर्फ विवेक से 14,000 रुपए तथा आरोपी खीरसागर के मोबाइल पर फोन-पे की 4 ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट जिसमें आरोपियों को रुपए भेजने का उल्लेख है को जप्त किया गया है। लूटपाट का आरोपी मोहित शर्मा फरार है। मामले में धारा 411 आईपीसी विस्तारित कर कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपियों से कुल ₹41,200 , एक स्कुटी, एक मोबाइल जप्त कर रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन तथा एडिशनल एसपी आकाश मरकाम एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर लूटपाट के अपराध में माल मुल्जिम पतासाजी की कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा, एएसआई कुसुम कैवर्त, हेमसागर पटेल, हेड कांस्टेबल करुणेश कुमार राय, प्रेम सिदार, कांस्टेबल संदीप कौशिक, राजेश खांडे, संजय केरकेट्टा और चंद्रेश पाण्डेय की सराहनीय भूमिका रही है।

किराए मकान पर रह रहे किरायेदारों की जांच के लिए पुलिस ने चलाया अभियान

❑ मकान मालिक और किरायेदार को सत्यापन कराने दी गई हिदायत

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन पर जिले में किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फेरीवाले व मुसाफिरों के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को रायगढ़ जिले के थाना चक्रधरनगर के अम्बेडकर आवास, थाना कोतरारोड़ के किरोड़ीमलनगर, चिराईपानी क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने सघन भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जिसमें पुलिसकर्मियों ने किरायेदारों, घरेलू नौकरों, बाहरी व्यक्तियों को की जांच की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मकान मालिक और किरायेदारों को जिले में आने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति का भौतिक सत्यापन होना अनिवार्य बताते हुए मकान मालिकों को किरायेदार रखने पर उनका भौतिक सत्यापन करवाने कहा गया तथा ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जानकारी दी गई। किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

आवास निर्माण के लिए रिश्वत लेने पर कार्यालयीन समय पर कर सकते हैं शिकायत

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिले में एक कर्मचारी को रिश्वत के मामले में बर्खास्त करने के बाद जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने आवास हितग्राहियों से अपील किया है कि जिनके ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति के नाम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैसे की मांग करता है तो सीधे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करायें। आवास संबंधी सरकारी काम में रिश्वत की शिकायत फोन नंबर 07768299529 पर शासकीय कार्य दिवस और कार्यालय समय पर करें। इस तरह हितग्राहियों से अपील है कि अपने परिवार का स्वीकृत आवास समय पर पूर्ण करें। 2011 (SECC) के सर्वे अनुसार पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत की जाती है जिसमें सबसे पहले आवास साफ्ट में हितग्राहियों का पंजीयन करना रहता है। पंजीयन के लिए हितग्राही का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाईल नम्बर आधार सहमति प्रपत्र एवं शपथ पत्र जनपद पंचायत द्वारा आवास साफ्ट में पंजीयन किया जाता है। फिर जिला पंचायत से आवास स्वीकृत की जाती है। स्वीकृति पश्चात् 4 किश्तों में 1.20 लाख एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत आवास स्वीकृति कराने के लिए किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदि को किसी प्रकार की रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। काम के एवज में रिश्वत, पैसे की मांग कानूनी रूप से अपराध है।

एआई तकनीक से फर्जी आवाज निकालकर ठगी करने वाले से रहें सतर्क

सारंगढ़ बिलाईगढ़

टेक्नोलोजी के सहयोग से ठगी की नई विधा जो पूरे देश में अपना पैर पसार चुकी है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक। इस ठगी में ऐसे परिवार जिनके रिश्तेदार, जितने भी बाहर में निवास कर रहे हैं या पढ़ रहे या अन्य कोई रोजगार या किसी कारणवश अपने पारिवारिक सदस्य से दूर है उन्हीं लोगों को इस ठगी के शिकार होने की संभावना ज्यादा है।

इस एआई तकनीक से अपराधी जिसे भी फोन लगाते हैं उनके परिचित का आवाज उनको सुनाते हैं या इसमें परिचित की आवाज में ही फोन आए कि मैं मुसीबत में हूं। जिसमें वह आर्थिक मदद की मांग करें कि मैं हॉस्पिटल में हूं या किसी इमरजेंसी के कारण मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है। मेरा फोन और गूगल या फोन पे बंद है, इमरजेंसी में कोई नए नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर दो।

जब कोई ऐसा फोन आए तो, फोन करने वाला कितनी ही जल्दी करने के लिए बोले, नागरिकों को सतर्क होकर किसी भी तरह ये जानने की कोशिश करे कि जो आवाज से बात हुई, वह व्यक्ति किस स्थान पर है और वह सुरक्षित है कि नहीं। जब कोई व्यक्ति ऐसा सतर्क होकर एक फोन पर अपराधी से बात करते हुए, इशारे या लिखकर अपने घर परिवार दोस्त पड़ोसी आदि शुभचिंतक से सहयोग कर यह कार्य करेंगे वो ठगी से बच जायेंगे।

नागरिक अपडेट रहें

नागरिकों को चाहिए कि सभी प्रकार के मोबाइल नंबर और अन्य उनके नजदीकी दोस्त रिश्तेदार आदि से भी अपडेट मोबाइल नंबर अपने पास रखें।

आवाज कॉपी करने की प्रक्रिया

अपराधी किसी भी जो बाहर रह रहे हैं उनकी आवाज को कॉपी करके इस आवाज पर शब्दों का नया एक लाइन लिखी जाती है जैसे मुझे बचा लो, यह लोग मुझे फंसा दे रहे हैं, मैं जेल चली जाऊंगी या मैं जेल चला जाऊंगा। इस प्रकार की लाइन को अपराधी लोग एआई तकनीक से डबिंग करके मोबाइल में अपने रिकार्ड रखते हैं और जो व्यक्ति बाहर निवास कर रहा उसके माता-पिता भाई-बहन पति पत्नी आदि को फोन करके उनको कहते हैं कि अमुक व्यक्ति आपका रिश्तेदार है।

कस्टमर केयर, हेल्पलाइन पर भी ठगी

हर कदम पर कोई ठगी का जाल फैला रखा है। जैसे किसी कस्टमर केयर के नंबर पर डायल करने पर, किसी हेल्पलाइन नंबर पर। आम नागरिकों को ऐसे किसी भी कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि वह नंबर सही है या नहीं ठीक इसी प्रकार अभी परीक्षा का दौर खत्म हुआ है। ऐसे में कई प्रकार के ठग छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को परीक्षा में पास करने के नाम पर उनसे पैसा मांगकर ठगी कर रहे हैं। इन सभी ठगी से नागरिकों को बचना चाहिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480